



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275505
CG-DL-E-17082026-275505

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4340]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4340]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4520(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3325(E) तारीख 19/06/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में NH-168G के कि.मी. 62.5 से कि.मी. 104 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 01/07/2026 को “ध इंडियन एक्सप्रेस”, 01/07/2026 को “दिव्य भास्कर” में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में NH-168G के कि.मी. 62.5 से कि.मी.104 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: साबरकांठा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: इंदर					
गांव का नाम: सापवाड़ा					
1	1245	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0076	पटेल डाहिबेन खेमाभाई पटेल रमिलाबेन खेमाभाई पटेल कल्पेशभाई खेमाभाई पटेल संजयभाई खेमाभाई
2	1250	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0484	पटेल हसमुखभाई रेवाभाई पटेल डाहिबेन खेमाभाई पटेल रमिलाबेन खेमाभाई पटेल कल्पेशभाई खेमाभाई पटेल संजयभाई खेमाभाई
3	665	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.192	चेनवा पुंजाभाई बेचरभाई
4	666	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0182	चेनवा धुलाभाई बेचरभाई चेनवा ईश्वरभाई धुलाभाई चेनवा अमृतभाई धुलाभाई चेनवा रमेशभाई धुलाभाई

					चेनवा कांताबेन धुलाभाई
5	826	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0376	पटेल घनश्यामभाई मुलजीभाई
गांव का नाम: मनियोर					
6	829	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.001	पटेल जयंतीभाई बेचरभाई पटेल डाहिबेन, जयंतीभाई बेचरभाई की पत्नी हैं पटेल अतुलभाई जयंतीभाई पटेल भावेशभाई जयंतीभाई पटेल भावनाबेन जयंतीभाई पटेल कोमलबेन जयंतीभाई
गांव का नाम: लालोड़ा					
7	101	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0556	पटेल अशोककुमार गनजीभाई पटेल शांताबेन, गनजीभाई की विधवा
8	106	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0057	पटेल खेमाभाई जेठाभाई पटेल रमणभाई जेठाभाई पटेल सुरेशभाई जेठाभाई
9	108	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0997	पटेल अशोककुमार गनजीभाई पटेल शांताबेन, गनजीभाई की विधवा
10	113	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0426	पटेल रमणभाई दवाभाई पटेल सविताबेन रमणभाई पटेल हितेशभाई रमणभाई पटेल राहुलभाई रमणभाई

					पटेल सेजलबेन रमणभाई
11	85	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.092	अतुलभाई पशाभाई पटेल
12	95	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0041	पटेल अशोककुमार गनजीभाई पटेल शांताबेन, गनजीभाई की विधवा
13	96	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0204	पटेल अशोककुमार गनजीभाई पटेल शांताबेन, गनजीभाई की विधवा
Total				0.6249	

[फा. सं. GJ/PV/14/09/2022/3D.]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

S.O. 4520(E) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3325(E) Dated:19/06/2026** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH-168G in the stretch of land from Km. 62.5 to Km. 104 in the district of Sabarkantha in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” dated 01/07/2026 , “Divya Bhaskar ” dated 01/07/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-168G in the stretch of land from Km. 62.5 to Km. 104 in the district of Sabarkantha in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: Sabarkantha		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Idar					
Village: Sapavada					
1	1245	Private (,)	Agriculture	0.0076	Patel Dahiben Khemabhai Patel Ramilaben Khemabhai Patel Kalpeshbhai Khemabhai Patel Sanjaybhai Khemabhai
2	1250	Private (,)	Agriculture	0.0484	Patel Hasmukhbhai Revabhai Patel Dahiben Khemabhai Patel Ramilaben Khemabhai Patel Kalpeshbhai Khemabhai Patel Sanjaybhai Khemabhai
3	665	Private (,)	Agriculture	0.192	Chenwa Punjabhai Becharbhai
4	666	Private (,)	Agriculture	0.0182	Chenva Dhulabhai Becharbhai Chenva Ishwarbhai Dhulabhai Chenva Amrutbhai Dhulabhai Chenva Rameshbhai Dhulabhai Chenva Kantaben Dhulabhai
5	826	Private (,)	Agriculture	0.0376	Patel Ghanshyambhai Muljibhai
Village: Maniyor					
6	829	Private (,)	Agriculture	0.001	Patel Jayantibhai Becharbhai Patel Dahiben is the wife of Jayantibhai Becharbhai Patel Atulbhai Jayantibhai Patel Bhaveshbhai Jayantibhai Patel Bhavnaben Jayantibhai Patel Komalben Jayantibhai
Village: Laloda					

7	101	Private (,)	Agriculture	0.0556	Patel Ashokkumar Ganjibhai Patel Shantaben, widow of Ganjibhai
8	106	Private (,)	Agriculture	0.0057	Patel Khemabhai Jethabhai Patel Ramanbhai Jethabhai Patel Sureshbhai Jethabhai
9	108	Private (,)	Agriculture	0.0997	Patel Ashokkumar Ganjibhai Patel Shantaben, widow of Ganjibhai
10	113	Private (,)	Agriculture	0.0426	Patel Ramanbhai Dawabhai Patel Savitaben Ramanbhai Patel Hiteshbhai Ramanbhai Patel Rahulbhai Ramanbhai Patel Sejalben Ramanbhai
11	85	Private (,)	Agriculture	0.092	Atulbhai Pashabhai Patel
12	95	Private (,)	Agriculture	0.0041	Patel Ashokkumar Ganjibhai Patel Shantaben, widow of Ganjibhai
13	96	Private (,)	Agriculture	0.0204	Patel Ashokkumar Ganjibhai Patel Shantaben, widow of Ganjibhai
Total				0.6249	

[F. No. GJ/P/V/14/09/2022/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director